पत्रांक : 03 / आ01–286 / 2026.....

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार पाण्डेय,
निदेशक (प्रशासन)।

सेवामें,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक .....

विषय :– एच.आर.एम.एस. प्रणाली के अंतर्गत वेतन, मकान किराया भत्ता एवं बकाया मद में अनुमान्यता से अधिक राशि की अवैध निकासी के संबंध में स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक–1910 दिनांक 27.07.2022 के आलोक में शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रासंगिक आदेश से आच्छादित कर्मियों के लिए अगस्त, 2022 से वेतन HRMS में वेतन विपत्र तैयार कर CFMS के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था लागू है।

हालिया जाँच एवं समीक्षा के क्रम में यह गंभीर मामला उजागर हुआ है कि आपके जिले में कार्यरत मेकर–चेकर–अप्रूवर (Maker-Checker-Approver) की मिलीभगत से एच.आर.एम. एस. (HRMS) पोर्टल पर छेड़छाड़ एवं कूटरचना कर वेतन मद, मकान किराया भत्ता (HRA) मद तथा एरियर (Arrears) मद में अनुमान्य सीमा से अत्यधिक राशि की अवैध निकासी (Illegal Withdrawal) की गई है।

दिनांक 04.11.2026 की समेकित विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 6,895 मामलों में 34,11,56,604 / – रुपये की अधिक निकासी प्रतिवेदित हुई है। आपके जिले में 7202 मामले उजागर हुए हैं, जिनमें कुल वसूलनीय राशि रु0 352,749,333 / – मात्र है जिसमें से अबतक रु0 330,236,122 / – मात्र की वसूली हुई है तथा रु0 22,430,205 / – मात्र की राशि अभी भी अवशेष है।

इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य अत्यंत गंभीर एवं विचारणीय हैं :

1. **वित्तीय नियमों का उल्लंघन** : मेकर, चेकर एवं अप्रूवर के माध्यम से कूटरचना कर अनुमान्यता से अधिक राशि की निकासी किया जाना वित्त विभाग के प्रासंगिक परिपत्र संख्या–2561 / वि.(2), दिनांक 17.04.1998 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ–साथ बिहार कोषागार संहिता (Bihar Treasury Code), 2011 के नियम 155, 157 एवं 159 (जो वेतन विपत्र तैयार करने एवं कोषागार के माध्यम से भुगतान से पूर्व जाँच की प्रक्रिया से संबंधित हैं) तथा वित्त विभागीय पत्रांक–2684, दिनांक 02.04.2018 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2530, दिनांक 19.10.2022 में मेकर, चेकर एवं अप्रूवर के दायित्वों के संबंध में अंकित निर्देशों का भी स्पष्ट उल्लंघन है।
2. **प्रशासनिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण (Monitoring) में विफलता तथा आपराधिक चूक** : यद्यपि पत्रांक–1910, दिनांक 27.07.2022 की कंडिका 3 के आलोक में प्रत्येक कर्मी के वेतन एवं भत्तों की देयता की जाँच तथा भुगतान की प्रत्यक्ष जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) सह अप्रूवर (Approver) के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) की होती है, तथापि जिले के सर्वोच्च विभागीय पदाधिकारी एवं जिला एडमिन (HRMS) के रूप में इस संपूर्ण प्रक्रिया के सतत अनुश्रवण

(Monitoring) एवं पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व आपका है। आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत मेकर, चेकर एवं अप्रूवर (DDO/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना) द्वारा इस प्रकार की अवैध निकासी किया जाना तथा आपके स्तर से इसका समुचित अनुश्रवण (Monitoring) कर समय रहते रोकथाम करने में असमर्थ रहना स्पष्ट रूप से आपके प्रशासनिक नियंत्रण में घोर विफलता एवं आपराधिक चूक (Criminal Omission) का द्योतक है।

3. **सेवा आचरण के विरुद्ध कार्य** : यह कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति आपकी उदासीनता, घोर लापरवाही एवं पर्यवेक्षणीय शिथिलता को दर्शाता है, जिससे सरकार एवं विभाग की छवि धूमिल हुई है। आपकी यह प्रशासनिक विफलता एवं चूक सरकारी सेवक के कदाचार की श्रेणी में आती है, जो बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम–3 के सर्वथा प्रतिकूल है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि उपर्युक्त गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं प्रशासनिक विफलता के लिए क्यों नहीं आपके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित 2007) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

- कृपया इस स्पष्टीकरण का बिंदुवार एवं साक्ष्य–सहित जवाब पत्र प्राप्ति के सात (07) दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करें।
- निर्धारित समय–सीमा के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा अनुशासनिक प्राधिकार अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिलेख के आधार पर आपके विरुद्ध एकतरफा (Ex-parte) निर्णय लिए जाने की बाध्यता होगी।

अनुलग्नक :–यथोक्त (समेकित वसूली प्रतिवेदन की प्रति)।

विश्वासभाजन

ह0/–

(विजय कुमार पाण्डेय)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ01–286/2026 36 / पटना दिनांक – 05/11/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव/सभी निदेशक/आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.11.26

निदेशक (प्रशासन)